राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक पं. 7(1)कार्मिक/क–2/95पार्ट जयपुर, दिनांकः 24/05/2023

1 समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2 समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.06.2001 के द्वारा विविध सेवा नियमों में यह प्रावधान किया गया था कि किसी कार्मिक के 01 जून, 2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने पर उसकी पदोन्नति पर 5 भर्ती वर्षों तक विचार नहीं किया जायेगा। तत्पश्चात अधिसूचना दिनांक 19.09.2017 के द्वारा 5 भर्ती वर्षों के स्थान पर 3 भर्ती वर्षों तक विचार नहीं किये जाने का संशोधित प्रावधान किया गया जो दिनांक 01.04.2017 से प्रभावी हैं।

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 (कार्मिक विभाग की वेबसाईट www.dop.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध) के द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में निम्नलिखित प्रावधान किया गया हैः–

"The person who had not been considered for promotion upto the year 2019-2020 because he/she had more than two children on or after 1st June 2002 shall be considered for promotion from the date on which his/her promotion was due and on such promotion his/her pay shall be refixed at the pay which he/she would have drawn but no arrear shall be paid and if any person who has more than two children on or after 1st June ,2002 and his promotion becomes due in the year 2020-2021 or thereafter shall be considered for promotion from the date on which his/her promotion becomes due and his/her pay shall be fixed for the promotional post, but he /she shall be entitled for annual increment notionally for three subsequent years and after such three years he/she shall be allowed actual benefits of such increments, however no arrears shall be paid for such notional increments. There shall be no consequential effect on subsequent promotions of the person promoted as per provisions of this sub-rule. The person already promoted shall not be reverted due to implementation of this sub-rule:"

उपर्युक्त प्रावधानान्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा निम्न बिन्दुओं पर मार्गदर्शन/राय प्राप्त करने हेतु इस विभाग में प्राप्त प्रकरणों में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैंः–

1. ऐसा कार्मिक जिसके 01 जून, 2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने के कारण पदोन्नति पर वर्ष 2019–20 तक विचार नहीं किया गया था, का आशय यह लिया जा रहा है कि जिन कार्मिकों की पदोन्नति, संतान की संख्या के आधार पर 5 भर्ती वर्ष अथवा 3 भर्ती वर्ष पश्चात वर्ष 2019–20 से पूर्व की जा चुकी है, उनकी पदोन्नति नियत देय तिथि से रिव्यू डीपीसी के माध्यम से की जानी है अथवा नहीं?

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे कार्मिक जिनकी पदोन्नति अधिसूचना दिनांक 20.06.2001 अथवा 19.09.2017 के क्रम में 5 वर्ष/3 वर्ष का दण्ड दिया जाकर वर्ष 2019–20 तक पदोन्नति

की जा चुकी है, उन कार्मिकों की पदोन्नति भी उस तारीख से रिव्यू डीपीसी की जाकर की जावेगी, जिस तारीख को उसकी पदोन्नति नियत तिथि को देय हो गई थी और उसका वेतन ऐसी पदोन्नति पर, उस वेतन पर जिसे वह आहरित करता, पुनः नियत किया जायेगा, किन्तु कोई बकाया का भुगतान नहीं किया जायेगा।

2. कई विभागों द्वारा यह प्रश्न उठाये गये हैं कि उक्त अधिसूचना से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि अधिसूचना से पूर्व के प्रकरणों में रिव्यू डीपीसी की जावें।

   इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन कार्मिकों की पदोन्नति संतानों की संख्या के आधार पर दण्ड का प्रभाव डालते हुए नियत तिथि के पश्चात बाद में प्रदान की गई है, अब विद्यमान प्रावधान के अनुसार पदोन्नति में दण्ड का प्रभाव नहीं देते हुए, पदोन्नति नियत तिथि से देय होगी तथा इस कारण पूर्व विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों को रिव्यू किया जाना आवश्यक है।

3. यदि ऐसे कार्मिकों की रिव्यू डीपीसी की जानी है तो प्रत्येक प्रकरण में पदोन्नति हेतु छाया पद स्वीकृत करवाने की कार्यवाही किस विभाग द्वारा की जावेगी?

   इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस नियम के अनुसार पदोन्नत व्यक्ति की पश्चातवर्ती पदोन्नतियों पर कोई पारिणामिक प्रभाव नहीं पडेगा और पहले से ही पदोन्नत व्यक्ति को इस नियम के क्रियान्वयन के कारण प्रतिवर्तित (Demote) नहीं किया जावेगा। जिन कार्मिकों को नियमानुसार तत्समय दो से अधिक संतान होने के कारण नियत तिथि को पदोन्नति से वंचित कर दिया था, अब उन्हें इस अधिसूचना के क्रम में नियत तिथि से पदोन्नति देने की कार्यवाही की जायेगी एवं आवश्यकता होने पर विभागों द्वारा प्रथमतः वित्त विभाग से उनके लिये छाया पद स्वीकृत करवाना होगा। तत्पश्चात पदोन्नति दिये जाने हेतु रिव्यू डीपीसी के प्रकरण कार्मिक विभाग में सहमति हेतु भिजवाये जाने की कार्यवाही की जानी है।

अतः समस्त विभागाध्यक्ष/नियुक्ति अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 एवं उक्त निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

24/5/23

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
4. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
6. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
7. रक्षित पत्रावली

24/5/23

संयुक्त शासन सचिव

26/2023